उद्योग हित

LAGHU UDYOG BHARATI

H.O. : 48, Deen Dayal Upadhyay Marg,
Rouse Avenue, New Delhi-110002
Phone : 011-23238582, 23215064, 23218052

TM

लघु उद्योग भारती

राष्ट्र हित

लघु उद्योग भारती

मुख्य कार्यालय : 48, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 011-23238582, 23215064, 23218052

E-mail : headoffice@lubindia.com / Website : www.lubindia.com

ALL INDIA ORGANISATION IN SERVICE OF SMALL SCALE INDUSTRIES

दिनांक:- 07/12/2024

प्रेस विज्ञप्ति

लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय महासचिव, श्री ओम प्रकाश गुप्ता और अखिल भारतीय संयुक्त कोषाध्यक्ष, श्री महेश गुप्ता ने आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लिया। लघु उद्योग भारती ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

1. **विपणन और आउटरीच:** उद्यम आधार के साथ जोड़कर GeM पोर्टल के पंजीकरण को सरल बनाएं। GeM को निजी संस्थानों और वैश्विक बाजारों तक विस्तारित करें। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, एक्सपो और भारतीय दूतावासों में व्यापार डेस्क के माध्यम से समर्थन करें।

2. **तकनीकी विकास:** अनुसंधान और विकास में शामिल विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सरल बनाएं। देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करें। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक समर्पित निधि आवंटित करें और एसएमई के लिए अनुसंधान और विकास के लिए सीएसआर निधि की अनुमति दें।

3. **कौशल विकास:** एमएसई के साथ आईटीआई स्नातकों के लिए एनएपीएस के तहत एक साल की इंटर्नशिप अनिवार्य करें। एसएमई के लिए नौकरी-विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित और विस्तारित करें। कौशल की कमी को पूरा करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट पहल के साथ संसाधन उपलब्ध कराएँ।

4. **व्यापार करने में आसानी:** लाइसेंस और परमिट के अनुपालन के लिए एकल-खिड़की व्यवस्था लागू करें। पुराने कानूनों को खत्म करें और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विभागों को एकीकृत करें। छोटे और नए व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग को सरल बनाएं।

5. **बैंकिंग और वित्त:** भुगतान में देरी को दूर करने के लिए धारा 43B(h) के तहत समय पर भुगतान की निगरानी करें। CGTMSE के तहत कोलेट्रल-मुक्त ऋण को बढ़ावा दें। MSE के लिए कॉरपोरेट्स के समान ब्याज दर लागू करें और CIBIL अपडेट में सुधार करें। MSE को बेहतर तरलता के लिए कार्यशील पूंजी सीमा को टर्नओवर के 25-30% तक बढ़ाएँ।

6. **कॉर्पोरेट और श्रम कानून समायोजन:** PF/ESI पंजीकरण के लिए AGILE-1 फॉर्म में विकल्प प्रदान करें। ROC अनुपालन में चूक के लिए माफी योजनाएँ शुरू करें और दंड कम करें। छोटी कंपनियों के लिए ऑडिट ट्रेल की आवश्यकता को कम करें।

7. **जीएसटी और कराधान:** जॉब वर्क के लिए जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाना, करदाता को जीएसटी अनुपालन रेटिंग की सुविधा देना। जीएसटी फाइलिंग में छोटी-मोटी चूक के लिए धारा 74 के तहत दिए गए आदेश में माफी योजना लागू करना। नकदी प्रवाह में राहत के लिए आरसीएम दरों को तर्कसंगत बनाना, आरसीएम दरें 0.5% से 1% होनी चाहिए।

8. **सीमा शुल्क और निर्यात सहायता:** निर्यातकों के लिए जीएसटी क्रेडिट रिफंड में तेजी लाना। संधारणीय प्रथाओं के लिए सीमा शुल्क प्रोत्साहन प्रदान करना। महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात के लिए अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

9. **आयकर सुधार:** भागीदारी और एलएलपी के लिए कर दरों को कॉर्पोरेट दरों के बराबर करना। दीर्घकालिक परिसंपत्ति पुनर्निवेश के लिए पूंजीगत लाभ कर में छूट की अनुमति देना। पीएफ/ईएसआई के लिए रिटर्न दाखिल करने से पहले किए गए विलंबित भुगतान की अनुमति देना।

उपरोक्त सिफारिशों के अलावा सामान्य परीक्षण सुविधाओं के लिए क्लस्टर और भूमि नीतियों के संबंध में, नई इकाई स्थापनाओं के लिए 15% पूंजी सब्सिडी की अनुमति देना। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से एमएसई को बढ़ावा देना, निर्यात शुल्क वापसी में वृद्धि करना, औद्योगिक भूमि पर सब्सिडी देना, प्लग-एंड-प्ले उत्पादन कक्ष शुरू करना और एसएमई क्लस्टरों के लिए सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना।

घनश्याम ओझा
अखिल भारतीय अध्यक्ष

ओम प्रकाश गुप्ता
अखिल भारतीय महामंत्री